रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह दिसंबर-2015

माह मामले संपत्ति की कीमत रू. में गिरफ्तार
दर्ज हल चोरी गई बरामद बाहरी व्यक्ति रेलकर्मी आरपीएफ
नवम्बर-2015 34 35 46695 46695 54 00 00

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह दिसंबर 2014

माह मामले संपत्ति की कीमत रू.
में

गिरफ्तार

दर्ज हल चोरी गई बरामद बाहरी
व्यक्ति

रेलकर्मी आरपीएफ

दिसंबर -2014 01 01 4200 4200 01 00 00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह दिसंबर -2014

माह मामले संपत्ति की कीमतरू. में गिरफ्तार
दर्ज हल चोरी गई बरामद बाहरी व्यक्ति रेलकर्मी आरपीएफ
दिसंबर
&2014

35 35
50895 50895

55 00 00

रेल अधिनियम के तहत माह दिसंबर-2014 में की गई कार्यवाही का विवरण:-

धारा पंजीकृत प्रकरण जुर्माना राशि रू. में

137 879 1316362
138 18090 7962583
139 0 0
141 237 101800
142 0 0
143 0 0
144 995 368740
145 646 65880
146 11 5400
147 342 49900
153 1 0
154 16 25800
155 759 33700
156 144 11900
157 0 0
159 474 51900
160 12 13326
161 0 0
162 372 16200
163 0 0
164 1 0
165 0 0
166 1 500
167 85 3100
172 3 0
173 0 0
174 9 4200
175 0 0
176 0 0
180;हद्ध 0 0
Total 23,077 1,00,31,291

j-l-c-@iej }kjk ekg fnlcj&2015 dk nkjku fd;s x;s vU; vPNs dk;ksZ dk C;kSjk %

(i) दिनांक 18.12.2014 को भानू सिंह पुत्र भवरलाल सिंह उम्र 14 वर्ष निवासी बड़ापुरा वार्ड नं.03 मुगावली जिला अशोक नगर मध्यप्रदेश को गाड़ी क्र. 12920 मालवा एक्सप्रेस से बीना से इंदौर के लिए वेडमेंटन खेलने के लिए टीम व टीचर के साथ इंदौर जाना था जो बीना स्टेशन से गलती से गाड़ी क्रमांक 14320 बरेली से इंदौर जानेवाली ट्रेन से चढ़ गया, गाडी के रवाना होने पर जब उसे उसके साथी दिखायी नही दिये एवं उसे ज्ञात हुआ कि वह गलत गाड़ी में चढ गया है, घबराकर वह जोर–जोर से चिल्लाकर रोने लगा। बाद कोच के यात्रियों ने उसे एसीपी करके कोच से उतार दिया। बीना स्टेशन पर तैनात रेसुब के प्र.आर. आर.पी. पाण्डे व सउनि के.पी. शर्मा द्वारा गाडी को अटेंड कर उक्त बच्चा रोता हुआ मिला जिसे सूचना देकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

(ii) दिनांक 19.12.2014 को सील चैकिंग डियूटी पर तैनात महिला आरक्षक संगीता भंडोले द्वारा गाडी संख्या 12154 मे यात्रा कर रहे एक यात्री अशरफ शेख का ट्रेन के चलते समय एक सफेद रंग का सेमसंग कंपनी का मोबाइल अचानक गिर गया। डियूटी पर तैनात महिला आरक्षक संगीता भंडोले द्वारा उक्त मोबाईल को रेसुब पोस्ट हबीबगंज लाया गया। बाद दिनांक 25.12.2014 को उक्त यात्री के उपस्थित होने पर मोबाइल सुपुर्द किया गया।

(iii) दिनांक 22.12.14 को उपनिरीक्षक एस एल रावत हमराह स्टाफ आरक्षक अरविंद कुमार पचौरी के साथ गस्त पर थे दौराने गस्त एक बच्चा लावारिस हालत मे प्लेटफार्म नंबर 01 पर घूमता हुआ मिला। जिसने अपना नाम बंटी पुत्र इंद्रपाल सिंह व पता ग्राम फरीदपुर थाना जवा जिला अलीगढ का रहना बताया। उपनिरीक्षक द्वारा माबाईल पर उनके परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पर उसका भाई सतीश कुमार पुत्र इंद्रपाल सिंह उम्र 38 साल होशंगाबाद रेसुबल आउट पोस्ट पर उपस्थित हुआ और लडके ने पहचाना बाद उक्त बालक को उसके बडे भाई सतीश पुत्र इंद्रपाल के सुपुर्द किया गया।

(iv) दिनांक 24.12.2014 को गाड़ी संख्या 12722 अप में यात्रा कर रहें यात्री लोकेश्वर राव ललितपुर स्टेशन पर खाना लेने के लिए उतरे थे इसी दरम्यासन गाड़ी के रवाना हो जाने से उक्त यात्री ललितपुर स्टेशन पर ही छुट गये, मंसुनिकक्ष से प्राप्त उक्त सूचना पर गाडी के भोपाल आगमन पर सउनि/रेसुब श्री आर.के.बौरासी द्वारा कोच को अटेंड कर कोच में कार्यरत् टीटीई श्री जितेन्द्र प्रसाद–झांसी से उक्त यात्री का सामान–दो ब्लेक कलर के बैग, एक लेपटाप, एक ब्लू कलर की जाकेट एवं एक डायरी सउनि द्वारा अपने कब्जे में लेकर यात्री को उसके मोबाईल नंबर पर सूचित किया गया। दिनांक 24.12.14 को उक्त यात्री लोकेश्वर राव के उपस्थित होने पर सामान चैक कर सुपुर्द किया गया।

(v) दिनांक 28.12.2014 को गाड़ी संख्या 12722 अप से यात्रा कर रहें यात्री शशांक नरुला के का मोबाइल चलती गाड़ी से निशातपुरा आउटर के आस–पास गिरने की सूचना प्रधान आरक्षक सुदामा कुर्मी एवं आरक्षक पूरनलाल द्वारा ट्रैक सर्च करने पर निशातपुरा आउटर भानपुर ओवर ब्रिज के आगे ट्रैक में मोबाइल सही सलामत पड़ा मिला जिसे उक्त स्टाफ द्वारा पोस्ट पर लाकर निरीक्षक भोपाल के समक्ष मोटोएक्स कंपनी का मोबाइल पेश किया व यात्री को सूचित किया गया। बाद यात्री शशांक नरुला पुत्र सतीश नरुला उम्र 22 साल निवासी 2ए 96–बी–एनआईटी फरीदाबाद हरियाणा के भोपाल पोस्ट पर उपस्थित होने पर समक्ष गवाहन यात्री को सुपुर्द किया गया।

(vi) दिनांक 30.12.2014 को गाडी क्रमांक 12914 के कोच एस–5 में लावारिस सूटकेश होने की मंसुनिकक्षक की सूचना पर उपनिरीक्षक अजीत सिंह सिनसिनवार, सउनि श्री आर.के.बौरासी द्वारा गाडी के समय 14.31 बजे भोपाल स्टेशन आगमन पर कोच एस–5 अटेंड किया गया तो बर्थ नं. 46 पर एक सूटकेश आसमानी कलर का एल्वीन कंपनी का लावारिस हालत में बर्थ पर पड़ा मिला। जिसे टीटीई श्री प्रभाकर उद्धव मुख्यालय नागपुर एवं गवाह दीपक चौहान पुत्र मगलू चौहान उम्र 28 साल निवासी म.नं. 126 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना करौंद जिला भोपाल, के समक्ष उतारकर चेक करने पर सूटकेश का लॉक खुला मिला, जिसे चैकर करने पर महिला के कपड़े पर्स इत्यादि मिले जिसकी सूची तैयार कर सूटकेश को पार्सल कार्यालय भोपाल में एलपीओ में जमा कराया गया।

(vii) दिनांक 15.12.2014 को गाडी संख्या–12954 के कोच नं0 बी/10 में बर्थ नं0/15,16 पर यात्रा कर रही महिला यात्री नाम कुमारी नेहा भास्त्री पुत्री किशन गोपाल भास्त्री, उम्र–21 वर्ष, निवासी–पूनम गार्डन मीरा रोड ईस्ट मुम्बई, पीएनआर नं0– 27418885798 जो कि एक्स मथुरा से मुम्बई सैण्ट्रल कोकी की यात्रा कर रही थी, यात्रा के दौरान उसी कोच में ईएफआई नंबर–0558875 में यात्रा कर रहा था के द्वारा उक्त महिला यात्री से छेडछाड कर रहा था, जिसे गाडी में तैनात रेसुब स्कार्ट पार्टी के प्र0आर0 रमेश सिंह गुर्जर द्वारा मय तहरीर के जीआरपी कोटा को अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु हेतु सुपुर्द किया गया। मामलें में जीआरपी कोटा द्वारा अ0क्र0 421/2014 धारा 354 ए/1 भा0द0सं0 दिनांक 15.12.2014 कायम किया।

(viii) इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 298 व्यक्तियों के विरुद्ध **तम्बाकु अधिनियम** (Prohibition of advertisement and regulation of trade, production, supply and distribution Act, 2003) के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 59,600/–रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

*****